

न्यायालय:-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी  
तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

प्रकरण क्रमांक-598 / 2006  
 संस्थित दिनांक-12 / 09 / 2006  
 फाई.नं0 234503000482006

म.प्र. शासन वन विभाग द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी  
 भैंसानघाट (गढ़ी) वन मण्डल कान्हा टाइगर रिजर्व  
 मण्डला तह. बैहर जिला बालाघाट म.प्र.।

.....परिवादी

### विरुद्ध

1. विपत वल्द सोनूसिंह जाति गोंड उम्र 46 वर्ष  
 निवासी ग्राम समरिया थाना गढ़ी जिला-बालाघाट म.प्र.

.....अभियुक्त

2. सोनूसिंह वल्द गुव्हा जाति गोंड उम्र 73 वर्ष  
 निवासी ग्राम समरिया थाना गढ़ी जिला-बालाघाट म.प्र. (फौत)

-:: निर्णय ::-

**दिनांक-04/01/2018 को घोषित:-**

1- अभियुक्त पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा-51 एवं सहपठित धारा- 9, 27, 29, 30, 35(6) का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-27/04/2006 को समय 04:30 बजे दिन में कक्ष क्रमांक-160 पाटीनाला के करियाडारा कान्हा टाइगर रिजर्व में आग लगाकर व जाल से मछली मारकर अवैध शिकार किया।

2- प्रकरण के अभियुक्त सोनूसिंह पिता गुव्हा की मृत्यु हो गयी है।

3- परिवादी का परिवाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27/04/2006 को भैंसानघाट परिक्षेत्र गश्ती दल के साथ वनरक्षक रामसिंह वल्के, कमलेश कुमार तिवारी, श्रमिक मंशाराम एवं धीरज वन गस्ती करते कान्हा टाइगर रिजर्व के कक्ष क्रमांक-160 में पहुंचे थे तो देखा था कि मैदान में अंगार लगी थी। सभी लोग अंगार बुझाकर पानी पीने पास के ही पाटीनाला के करियाडारा पहुंचे थे, वहां दो व्यक्ति जाल से मछली मार रहे थे। सभी लोगो ने घेरा डालकर उन्हें पकड़ा था। पूछने पर उन्होंने उनका

नाम सोनूसिंह वल्द गूव्हा एवं विपत वल्द सोनूसिंह ग्राम समरिया का होना बताया था। अभियुक्तगण की तलाशी लेने पर उनके पास से मछली मारने के दो जाल तांत के, सीमेंट बोरी का एक थैला, सनफलावर माचिस 1 नग बारह काड़ी सहित, बांस की बनी एक ढूँढ़ी जिसमें 700 ग्राम मछली रखी मिली थी एवं पास में लगी अंगार के बारे में पूछने पर अभियुक्तगण ने बताया था कि उन्होंने अंगार लगायी थी। अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया था कि उन्होंने चोरी से इस प्रवेश निषेध क्षेत्र में प्रवेश कर आग लगायी थी और चोरी से मछली मार रहे थे परंतु पकड़ा गये हैं इसलिए जुर्म कबूल करते हैं। तब रामसिंह वल्के द्वारा मौके पर ही पंचनामा, जप्तीनामा बनाकर अंगार से जला रकबा नाप कर पीओआर नं. 1339/39 दिनांक 27/04/06 जारी किया था। प्रकरण में अपराधी की जांच के लिए परिक्षेत्र कार्यालय में पेश किया था। जांच में आग लगाना एवं मछली मारना सत्य पाया गया था। अनुसंधान उपरांत न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया था।

4- अभियुक्त पर निर्णय के पैरा-1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर आरोप पढ़कर सुनाया एवं समझाया था, तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5- अभियुक्त का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

6- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त विपत ने घटना दिनांक-27/04/2006 को समय 04:30 बजे दिन में कक्ष क्रमांक-160 पाटीनाला के करियाडारा कान्हा टाईगर रिजर्व में आग लगाकर व जाल से मछली मारकर अवैध शिकार किया ?

### विवेचना एवं निष्कर्ष :-

7- कमलेश कुमार धुवारे परि.सा.4 का कहना है कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना दिनांक 27.04.2006 की है। घटना दिनांक को वह धीरज,

मंशाराम एवं वनरक्षक रामसिंह वल्के के साथ कक्ष क्रमांक-160 में वन गस्ती पर गया था। उक्त कक्ष क्रमांक-160 के पाटीनाला में वन के अंदर घांस, पत्ती में अंगार लगी थी जिसे सभी ने बुझाया था। पाटीनाला कैंप पर गये थे तो वहां पर दो व्यक्ति मछली मारते हुए दिखे थे। फिर घेराबंदी कर उनसे पूछताछ करने पर उनके द्वारा कबूल किया गया था कि उनके द्वारा मछली मारी गयी है। अभियुक्तगण के पास से एक जाल, दो घूटी, थैला, माचिस तथा 700 ग्राम मछली जप्त की थीं। रामसिंह वल्के द्वारा जप्ती पंचनामा की कार्यवाही कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.10 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। इसके बाद वनरक्षक द्वारा पी.ओ.आर की कार्यवाही की गयी थी। परिक्षेत्र सहायक अधिकारी ने साक्षी के बयान लिये थे जो प्र.पी.08 है।

8— मंशाराम परि.सा.01 का कहना है कि वह भैंसानघाट के बीट क्रमांक-160 में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में काम करता था। दिनांक 27.04.2006 को वह पाटीनाला पार्क के अंदर गस्ती दल के साथ गस्ती में गया था। वहां पाटीनाला पार्क के अंदर कुछ व्यक्ति मछली मार रहे थे। मछली मारने वाले व्यक्तियों के पास से 700 ग्राम मछली, तांत का झोला और माचिस मिली थी। मछली मारने वाले व्यक्तियों ने आग लगायी थी। साक्षी के सामने पंचनामा प्र.पी.01 बनाया गया था। साक्षी ने बयान दिया था जो प्र.पी.02 है। साक्षी के सामने वन विभागवालों ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर प्र.पी.03 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने उसके साहब के कहने पर प्र.पी.02 के बयान पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने बयान नहीं दिया था। प्र.पी.02 के बयान पर क्या लिखा था साक्षी को जानकारी नहीं है। पंचनामा साक्षी ने पढ़कर नहीं देखा था उसमें क्या लिखा था। पंचनामा बनाते समय साक्षी घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था।

9— धीरज परि.सा.05 का कहना है कि घटना दिनांक 27.04.2006 की है। घटना दिनांक को वह भैंसानघाट परिक्षेत्र के बलदा कैंप में श्रमिक का कार्य करता था। घटना दिनांक को वह उसके साथियों के साथ पाटीनाला के पास अंगार बुझाने के लिए गया था। जब वह अंगार बुझाकर नदी में

पानी पीने गया था तो उस समय अभियुक्त को मछली मारते हुए देखा था। अभियुक्त को पकड़ने पर उसके पास से दो जाल, एक थैला, मछली एवं माचित जप्त की थी। अभियुक्त से पूछताछ के दौरान उसने बताया था कि कान्हा नेशनल पार्क के कोर जोन के कक्ष क्रमांक 160 में आग लगायी थी। साक्षी के सामने मौके का पंचनामा प्र.पी.01 बनाया गया था। अभियुक्त से जप्त सामान का जप्ती पंचनामा प्र.पी.10 तैयार किया गया था एवं अभियुक्त के विरुद्ध पी.ओ.आर. काटा गया था। साक्षी ने उसका बयान प्र.पी.06 परिक्षेत्र सहायक को दिया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्षी के सामने गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.03 तैयार किया था।

10— रमेश प्रसाद परि.सा.02 का कहना है कि घटना दिनांक 27.04.2006 की शाम के चार-पांच बजे की भैंसानघाट कान्हा टाईगर रिजर्व एरिया कंपार्टमेंट नम्बर-160 की है। साक्षी मुख्यालय में उपस्थित था। अभियुक्त ने आग लगायी थी एवं अभियुक्त मछली मार रहा था। अभियुक्त को वनरक्षक एवं स्टाफ के व्यक्ति पकड़कर लाये थे। साक्षी मौके पर नहीं गया था। साक्षी ने अभियुक्त का बयान लिया था जो प्र.पी.05 है। साक्षी ने मंशाराम के बयान प्र.पी.06 एवं धीरज के बयान प्र.पी.06ए लिये थे। साक्षी ने रामसिंह का बयान प्र.पी.07 लिया था एवं साक्षी ने अभियुक्त का प्र.पी.03 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था। साक्षी ने कमलेश के बयान प्र.पी.08 लिये थे। साक्षी ने घटनास्थल का ट्रेस नक्शा प्र.पी.09 तैयार किया था। साक्षी के प्र.पी. 03 एवं प्र.पी.05 लगा. प्र.पी.09 के दस्तावेजों पर क्रमशः अ से अ भाग पर हस्ताक्षर हैं। साक्षी की साक्ष्य के अनुसार मछली पकड़ना एवं आग लगाने का अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया पाया गया था।

11— सुशीलाबाई परि.सा.06 का कहना है कि वह वन विभाग में वन्य प्राणी सुरक्षा श्रमिक के पद पर कार्य करती है। रामसिंह वल्के वनरक्षक को वह जानती है। रामसिंह वल्के वनरक्षक के पद पर वन विभाग में परिक्षेत्र भैंसानघाट में पदस्थ था। रामसिंह वल्के वनरक्षक की मृत्यु हो गयी है। रामसिंह वल्के के हस्ताक्षर से साक्षी भलीभांति परिचित है। साक्षी के समक्ष कई कार्यवाहियों में रामसिंह वल्के के द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे। रामसिंह वल्के वनरक्षक के बयान प्र.पी.07 पर बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

जप्ती पंचनामा प्र.पी.10, पीओआर प्र.पी.11 पर क्रमशः बी से बी एवं ए से ए भाग पर रामसिंह वल्के के हस्ताक्षर हैं। मौका पंचनामा प्र.पी.01 के डी से डी भाग पर रामसिंह वल्के के हस्ताक्षर हैं।

12— अब्दुल गफूर खान परि.सा.03 का कथन है कि वह दिनांक 27.04.2006 को आरक्षित वन क्षेत्र कक्ष क्र.160 कान्हा टाईगर रिजर्व में रेंज आफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को कक्ष क्र. 160 में आग लगने की घटना हुई थी। जिसमें साक्षी के अधिनस्थ अधिकारी कर्मचारियों ने अभियुक्त को अपराध की विषय वस्तु सहित पकड़ा था। अपराध के संबंध में सहायक परिक्षेत्र अधिकारी रमेश प्रसाद गौतम ने घटना की जांच की थी। विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध समस्त दस्तावेजी कार्यवाही पूर्ण कर प्रकरण साक्षी को सौंपा गया था। अब्दुल गफूर खान परि.सा.03 ने उसकी साक्ष्य में यह बताया है कि रामसिंह वल्के वनरक्षक बीट वल्दा के पद पर पदस्थ होकर इस साक्षी के अधिनस्थ कार्य करता था। रामसिंह वल्के की मृत्यु हो गयी है। यह साक्षी रामसिंह के हस्ताक्षरों को पहचानता है। इस कारण इस साक्षी ने उसकी साक्ष्य में रामसिंह वल्के के हस्ताक्षरों की पहचान की है। साक्षी ने बताया है कि प्र.पी.10 के जप्ती पंचनामा के अनुसार रामसिंह वनरक्षक ने अभियुक्त से सामग्री जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाकर अभियुक्त से जप्त सामान का प्र.पी.10 के जप्ती पंचनामा में उल्लेख किया था। साक्षी ने यह भी बताया है कि जप्ती पत्रक में रामसिंह वल्के ने तेरह हेक्टेअर भूमि में आग लगाने की बात का भी उल्लेख किया था। जिसके संबंध में रामसिंह ने प्र.पी.01 का मौके का पंचनामा बनाया था। इस साक्षी ने उसकी साक्ष्य में यह भी बताया है कि रामसिंह ने पीओआर क्र. 1339/19 दिनांक 27.04.2006 को अभियुक्त के विरुद्ध प्र.पी.11 काटा था जिसके ए से ए भाग पर रामसिंह वल्के के हस्ताक्षर हैं। रामसिंह वल्के ने प्र.पी.07 का कथन दिया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अब्दुल गफूर खान परि.सा.03 ने प्र.पी.01 लगा प्र.पी.11 के दस्तावेजों पर ई से ई भाग पर जांच के दौरान प्रति हस्ताक्षर किया जाना बताया है। साक्षी ने प्र.पी.12 का परिवाद पत्र अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में पेश किया था। सुशीलाबाई परि.सा.06 ने भी प्र.पी.10 के जप्ती पंचनामा, प्र.पी.07 के रामसिंह वल्के के



बयान, प्र.पी.11 के पी.ओ.आर., प्र.पी.01 के मौका पंचनामा पर रामसिंह वल्के के हस्ताक्षरों की पहचान की है। लेकिन सुशीलाबाई परि.सा.06 ने उसकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि उक्त दस्तावेजों की कार्यवाही रामसिंह वल्के ने की थी।

13— धीरज परि.सा.05 प्र.पी.11 के पीओआर का साक्षी है उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-2 में यह स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त को आग लगाते नहीं देखा था। उक्त साक्षी ने प्र.पी.10 के जप्ती पंचनामा पर जब हस्ताक्षर किये थे तब साक्षी ने प्र.पी.10 का जप्ती पंचनामा पढ़कर नहीं देखा था। साक्षी को इस बात का पता नहीं है कि प्र.पी.01 का पंचनामा, प्र.पी.10 का जप्ती पंचनामा किस दिनांक को बनाया गया था।

14— कमलेश कुमार घुवारे परि.सा.04 की साक्ष्य के अनुसार रामसिंह वल्के ने प्र.पी.10 के जप्ती पंचनामा की कार्यवाही, प्र.पी.01 के पंचनामा की कार्यवाही एवं पीओआर की कार्यवाही मौके पर की थी। परंतु मंशाराम परि.सा.01 ने उसकी साक्ष्य में यह बताया है कि प्र.पी.01 के पंचनामा की कार्यवाही सहायक परिक्षेत्र अधिकारी गौतम ने की थी तब इस साक्षी ने पंचनामा में हस्ताक्षर किये थे। कमलेश कुमार परि.सा.04 एवं मंशाराम परि.सा.01 की साक्ष्य में प्र.पी.01 का पंचनामा बनाने वाले अधिकारी के संबंध में विरोधाभास है। धीरज परि.सा.05 ने उसकी साक्ष्य में एवं कमलेश कुमार घुवारे परि.सा.04 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-2 में यह बताया है कि उन्होंने अभियुक्त को आग लगाते हुए नहीं देखा था। धीरज कुमार परि.सा.05 ने उसकी साक्ष्य में यह भी बताया है कि उसने अभियुक्त को मछली मारते हुए नहीं देखा था। इस कारण धीरज कुमार परि.सा.05 की साक्ष्य से घटना का समर्थन नहीं होता है। कमलेश कुमार परि.सा.04 की साक्ष्य से इस बात का समर्थन नहीं होता है कि अभियुक्त ने कक्ष क्र-160 में आग लगायी थी।

15— मंशाराम परि.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उसने कोई बयान नहीं दिया था। प्र.पी.02 के बयान पर उसने उसके साहब के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे। प्र.पी.02 के बयान पर क्या लिखा था इसकी भी उसे जानकारी नहीं है। मंशाराम परि.सा.01 ने प्र.पी.01 का

पंचनामा पढ़कर नहीं देखा था कि उसमें क्या लिखा था। मंशाराम को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि क्या कार्यवाही हुई थी एवं कौन से अभियुक्त को पकड़ा था। मंशाराम ने उसकी साक्ष्य में घटनास्थल पर स्वयं की उपस्थिति से भी इंकार किया है। मंशाराम ने प्रतिपरीक्षण में मुख्य परीक्षण के विपरीत कथन किये हैं मंशाराम परि.सा.01 की साक्ष्य से घटना का समर्थन नहीं होता है।

16— रमेश प्रसाद परि.सा.02 ने प्रकरण की जो भी कार्यवाही की है वह कार्यालय में की थी उक्त साक्षी घटनास्थल पर नहीं गया था। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-2 में यह बताया है कि अभियुक्त ने एवं साक्षियों ने उसके सामने बयान नहीं दिया था। इस साक्षी के मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त एवं साक्षी मंशाराम, धीरज, रामसिंह, कमलेश के बयान लेने के संबंध में विरोधाभास है। यह साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है इस कारण इस साक्षी की साक्ष्य से घटना का समर्थन होना नहीं माना जाता है।

17— धीरज परि.सा.05 एवं मंशाराम परि.सा.01 प्र.पी.03 के गिरफ्तारी पंचनामा के साक्षी हैं। परंतु मंशाराम ने उसकी साक्ष्य में अभियुक्त की गिरफ्तारी का समर्थन नहीं किया है। प्र.पी.03 के गिरफ्तारी पंचनामा में गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक में ओवर राइटिंग है। प्र.पी.03 का गिरफ्तारी पंचनामा अलग अलग स्याही से लिखा गया है प्र.पी. 03 के गिरफ्तारी पंचनामा को देखने से यह दर्शित होता है कि प्र.पी.03 का गिरफ्तारी पंचनामा एक समय पर नहीं बनाया जाकर अलग अलग समय में बनाया गया है। इससे प्र.पी.03 का गिरफ्तारी पंचनामा संदिग्ध दर्शित होता है। प्र.पी.10 के जप्ती पंचनामा में स्पष्ट रूप से यह नहीं लिखा है कि अभियुक्त विपत से कौन कौन सा सामान जप्त हुआ था। प्र.पी. 10 के जप्ती पंचनामा में दिनांक का उल्लेख नहीं है। प्र.पी.10 के जप्ती पंचनामा से यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह किस दिनांक को बनाया गया था। इस कारण प्र.पी.10 के जप्ती पंचनामा की कार्यवाही विश्वसनीय नहीं है। प्र.पी.03 के गिरफ्तारी पंचनामा की कार्यवाही भी विश्वसनीय नहीं है। परिवादी पक्ष द्वारा प्रकरण में परीक्षित कराये गये साक्षीगण की साक्ष्य से

अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण की घटना प्रमाणित नहीं मानी जाती है। परिवादी पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर कक्ष क्रमांक-160 पाटीनाला के करियाडारा कान्हा टाईगर रिजर्व में आग लगाकर व जाल से मछली मारकर अवैध शिकार किया था। अतः अभियुक्त को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-51 एवं सहपठित धारा-9, 27, 29, 30, 35(6) के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

18— प्रकरण में अभियुक्त का धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

19— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ती दो जाल तांत के, थैला 1 सीमेण्ट की बोरी, सनफलावर माचिस 12 काडी सहित, ढूटी बांस की अपील अवधि पश्चात वन विभाग वालों को वापस की जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
तहसील बैहर जिला—बालाघाट

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
तहसील बैहर जिला—बालाघाट